



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256511
CG-DL-E-21082024-256511

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3198]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/ श्रावण 29, 1946

No. 3198]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/ SHRAVANA 29, 1946

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

का.आ. 3514(अ).— जबकि मैसर्स टीपी बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नंबर 94, तीसरी मंजिल, पॉकेट- 4, एलआईजी फ्लैट, सेक्टर - 11, द्वारका, नई दिल्ली - 110075, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन प्रणाली “राजस्थान REZ Ph-IV (भाग-1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) - भाग- सी से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/23/2023-PG दिनांकित 03.10.2023 के द्वारा ट्रांसमिशन प्रणाली “राजस्थान REZ Ph-IV (भाग-1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) - भाग- सी से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स टीपी बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने स्थानीय समाचार पत्रों टाइम्स डे (अंग्रेजी में) दिनांक 30.12.2023, द ट्रिब्यून (अंग्रेजी में) दिनांक 30-12-2023, प्रभात अभिनंदन (हिन्दी में) दिनांक 30.12.2023, दैनिक भास्कर (हिन्दी में) दिनांक 30.12.2023 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 27.01.2024 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस

प्रकाशित किया था। इसके पश्चात्, मैसर्स टीपी बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने 30.07.2024 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत “राजस्थान REZ Ph-IV (भाग-1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) - भाग- सी से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के तहत ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. बीकानेर - III - नीमराना - II 765 केवी डी/सी लाइन (द्वितीय)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान और हरियाणा प्रदेश के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

(अनुसूची)

क्रमांक	गाँवों के नाम	तहसील	जिला	राज्य
1.	लाखुसर	बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान
2.	केलन, कालासर, सवाईसर, मकरासर, हापहासर, सोढवाली, किस्तूरिया, बामनवाली, उत्तमदेसर, जैसाण, महाराणा, धीरेरा, धीरेरा स्टेशन, खारी, बालासर, कुजती, सहजरासर, खारड़ा, बीजनसर, खर्वा, आडसर	लूणकरणसर	बीकानेर	राजस्थान
3.	लोदेरा, लोधेराण, डेलवान, लाधरिया, उदरासर, बिरमासर, जलाबासर, लाखनसर, उदासर, सुरजनसर, उदासर चारणान, आडसर पुरोहितान, आसासर, मोमासर, बधाण की ढाणी, भानुदा बिदावतान, भानुदा विदातन, भानुदा चारणान, सीकराली	डूंगरगढ़	बीकानेर	राजस्थान
4.	आडसर पुरोहितान, आससर	सरदार शहर	चुरू	राजस्थान
5.	बधाण की ढाणी, भानुदा बिदावतां, भानुदा विदातन, भानुदा चारणान, सीकराली, हामूसर, हामूसर, छोटारिया, हंसासर, गोगासर, चैनपुरा, गोलसर, लाधासर, दाउदसर, गोंसर, गोरीसर, खारिया, चक जेलेउ, खारिया बड़ा, खारिया छोटा, रतनसरा, खुडेरा बीकन, बछरारो, बछरारा बड़ा	रतनगढ़	चुरू	राजस्थान
6.	रामसीसर, ढांढण, दरौंदा, दादूदा, जालेउ, गोरस, रोहल, फदनपुरा, देवास, फदनपुरा, छोटा गोदिया, हेतमसर, बड़ा गोदिया, संजासर, साधिसर, सदीनसर	रामगढ़ शेखावाटी	सीकर	राजस्थान
7.	बालोद, बालोद बारी, पिपला की बलोदी, बालोद छोटी, डबरी, दीनवा लाडखानी	फतेहपुर	सीकर	राजस्थान
8.	लाका का नांगल, लाक हरी नांगल, नाथा की नांगल, झालरा, दयाल की नांगल, जीलो, बागराऊ, बेगरावा,	नीम का थाना	सीकर	राजस्थान

	बिहार, डाबला, शिमली, सालोदरा, शामपुरा, शामसिंह की ढाणी, श्यालोदरा			
9.	मंडावा, दीनवा, मिठवास, मीठवास, बहादुरवास, संजय नगर, भोजासर, राणासर, भोमपुरा, बास नानग, बिजनुसर	झुंझुनूं	झुंझुनूं	राजस्थान
10.	हनुमानपुरा, किसारी	मंडावा	झुंझुनूं	राजस्थान
11.	सांगासी, मांडासी, पूनिया की ढाणी, हिम्मतपुरा, देवगांव, चौरडी, देवगांव नुआ, जेजूसर, डाबरी, दलेसर खुर्द, डाबरी बलौदा, टोगरा कलां	नवलगढ़	झुंझुनूं	राजस्थान
12.	अजारी कलां, गुमाना का वास, बजावा, खींवासर, गाडवाला की ढाणी, छावश्री, छाओसरी, ओलां की ढाणी, खैर, खटकड़, केडविथ गोपालपुरा, खटकड़, खटकड़, मैनपुरा, हीरवाना, चानवाडा, ककराना, दीपपुरा, नियोरी	उदयपुरवाटी	झुंझुनूं	राजस्थान
13.	कसुजिया की ढाणी, मुंडा की ढाणी, मुंडो की ढाणी, किरा की ढाणी, कीरपुरा	गुढा गोरजी	झुंझुनूं	राजस्थान
14.	पदेवा, माधोगढ़, नई कोठी, दलेलपुरा, हरिया, कालोता, ढीमावाली ढाणी, हरदिया, श्री अशोक नगर, सरदारपुरा	खेतड़ी	झुंझुनूं	राजस्थान
15.	देवटा, दांतल, करण सागर, बनार, छाडरा, छरदरा, कालेरा, गोनेडा, मठ, मालपुरा, कालूहेडा, पनियाला, मोरधा	कोट पुतली	जयपुर	राजस्थान
16.	नांगल लाखा, बसरा, मोरोरी, मोरोदी, इसरा का बास, बबेरी, देव नगर	बानसूर	अलवर	राजस्थान
17.	बयाल, झुंगा का नांगल, मोसनोटा, गलगटा की ढाणी, रावतों की ढाणी, मोसनोटा, गोवला, गंगुटाना, नांगल डागरू, दाऊखेडा, डोनखेरा, सैदअलीपुर, आसा की ढाणी, दोस्तपुर, भेडंती, शहबाजपुर, अमरपुरा, श्यामपुरा, थनवास, भुडवाल, धेमाली, मोरंड, नांगल सोडा, बुढवल, गोत्री, राय मलिकपुर	नारनौल	महेंद्रगढ़	हरियाणा

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स टीपी बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- vi. मैसर्स टीपी बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/32/2024-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 20th August, 2024

S.O. 3514(E).— Whereas M/s TP Bikaner III Neemrana II Transmission Limited (formerly known as Bikaner III Neemrana II Transmission Limited) having its registered address at Flat No 94, Third Floor, Pocket – 4, LIG Flats, Sector – 11, Dwarka, New Delhi - 110075, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for evacuation of Power from Rajasthan REZ Ph-IV (Part-1) (Bikaner Complex) - Part - C”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/23/2023-PG dated 03.10.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for evacuation of Power from Rajasthan REZ Ph-IV (Part-1) (Bikaner Complex) - Part - C”.

M/s TP Bikaner III Neemrana II Transmission Limited (formerly known as Bikaner III Neemrana II Transmission Limited) had published notice for transmission scheme in local newspapers Times Day (in English) dated 30.12.2023, The Tribune (in English) dated 30-12-2023, Prabhat Abhinandan (in Hindi) dated 30.12.2023, Danik Bhaskar (in Hindi) dated 30.12.2023 and in Weekly Gazette of India dated 27.01.2024 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s TP Bikaner III Neemrana II Transmission Limited (formerly known as Bikaner III Neemrana II Transmission Limited) has submitted an affidavit dated 30.07.2024 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication in the official gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for evacuation of Power from Rajasthan REZ Ph-IV (Part-1) (Bikaner Complex) - Part - C”. The following overhead line is covered under this scheme:

1. Bikaner - III – Neemrana - II 765 kV D/C Line (2nd)

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan and Haryana:

SCHEDULE

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District	State
1.	Lakhusar	Bikaner	Bikaner	Rajasthan
2.	Kelan, Kalasar, Sawaisar, Makrasar, Haphasar, Sodhwali, Kisturiya, Bamanwali, Uttmadesar, Jaisan, Maharana, Dhirera, Dhirera Station, Khari, Balasar, Kujti, Sahajarasar, Kharda, Beejhansar, Kharra, Adsar	Lunkaransar	Bikaner	Rajasthan
3.	Lodera, Lodheran, Delwan, Ladhriya, Udrasar, Biramasar, Jalabasar, Lakhansar, Udasar, Surjansar, Udasar Charnan, Adsar Purohitan, Asasar, Momasar, Badhan Ki Dhani, Bhanuda Bidawatan, Bhanuda Vidawtan, Bhanuda Charnan, Sikrali	Dungargarh	Bikaner	Rajasthan
4.	Adsar Purohitan, Asasar	Sardarshahar	Churu	Rajasthan
5.	Badhan Ki Dhani, Bhanuda Bidawatan, Bhanuda Vidawtan, Bhanuda Charnan, Sikrali, Hamusar, Hamoosar, Chhotriya, Hansasar, Gogasar, Chainpura, Golsar, Ladhasar, Daudsar, Gonsar, Gorisar, Khariya, Chak Jeleu, Khariya Bara, Khariya chhota, Ratansara, Khudera Beekan, Bachhhara, Bachchharara Bara	Ratangarh	Churu	Rajasthan
6.	Ramsisar, Dhandhan, Darunda, Dadunda, Jaleu, Goras, Rohal, Phadanpura, Dewas, Fadanpura, Chhota Godiya, Hetamsar, Bara Godiya, Sanjasar, Sadhisar, Sadeensar	Ramgarh Shekhawati	Sikar	Rajasthan
7.	Balod, Balod Bari, Pipla Ki Balodi, Balod Chhoti, Dabri, Deenwa ladhani	Fatehpur	Sikar	Rajasthan
8.	Laka ka Nangal, Lak Hari Nangal, Natha Ki Nangal, Jhalra, Dayal Ki Nangal, Jeelo, Bagraau, Begrawa, Bihar, Dabla, Shimli, Salodara, Shampura, Shamsingh Ki Dhani, Shyalodara	Neem Ka Thana	Sikar	Rajasthan
9.	Mandawa, Dinwa, Mithwas, Meethwas, Bahadurwas, Sanjay Nagar, Bhojasar, Ranasar, Bhompura, Bas Nanag, Bijnusar	Jhunjhunu	Jhunjhunu	Rajasthan
10.	Hanumanpura, Kisari	Mandawa	Jhunjhunu	Rajasthan
11.	Sangasi, Mandasi, Puniya Ki Dhani, Himmatpura, Devgaon, Chaurdi, Devgaon Nua, Jesusar, Dabri, Dalesar Khurd, Dabri Baloda, Togra Kalan	Nawalgarh	Jhunjhunu	Rajasthan
12.	Ajari Kalan, Gumana Ka Was, Bajawa, Khinwasar, Gadwala Ki Dhani, Chhawshri, Chhaosari, Olan Ki Dhani, Khair, Khatkar, Kedwith Gopalpura, Khatkad, Khatkar, Mainpura, Heerwana, Chanwara, Kakrana, Dippura, Deeppura, Neori	Udaipurwati	Jhunjhunu	Rajasthan
13.	Kasujiya Ki Dhani, Munda Ki Dhani, Mundo Ki Dhani, Kira Ki Dhani, Keerpura	Gudha Gorji	Jhunjhunu	Rajasthan
14.	Padewa, Madhogarh, Nai Kothi, Dalepura, Harriya, Kalota, Dheemawali Dhani, Hardiya, Shree Ashok Nagar, Sardarpura	Khetri	Jhunjhunu	Rajasthan
15.	Deota, Dantal, Karan sagar, Banar, Chhadra, Chhardara, Kalera, Gonedra, Math, Malpura, Kaloohera, Paniyala, Mordha	Kot Putli	Jaipur	Rajasthan

16.	Nangal Lakha, Basra, Morori, Morodi, Isra ka Bas, Baberi, Deo Nagar	Bansur	Alwar	Rajasthan
17.	Bayal, Dunga Ka Nagal, Mosnuta, Galgata Ki Dhani, Rawaton Ki Dhani, Mosnota, Govla, Gangutana, Nangal Dargu, Daukhera, Donkhera, Saidalipur, Asa Ki Dhani, Dostpur, Bhedanti, Shahbazpur, Amarpura, Shyampura, Thanwas, Bhudwal, Dhemali, Morand, Nangal Soda, Budhwal, Gotri, Rai Malikpur	Narnaul	Mahendragarh	Haryana

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s TP Bikaner III Neemrana II Transmission Limited (formerly known as Bikaner III Neemrana II Transmission Limited) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s TP Bikaner III Neemrana II Transmission Limited (formerly known as Bikaner III Neemrana II Transmission Limited) shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No. 838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/32/2024-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)